पारेपत्र नम्बर—11/16

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, "जनाना अस्पताल रोड़", राज., अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)मुख्य/विधि/16/ 4455 — 4470 दिनांकः 29-12-16

समस्त
उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
राजस्थान

परिपत्र

विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक एफ.7(482)मुख्य/विधि/2016/2864-2879 दिनांक 05.12.16 के द्वारा आपको यह निर्देशित किया गया था कि राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 65,66, एवं 67 के विधिक प्रावधानों के अनुसार आपके यहां लंबित मुद्रांक प्रकरणों में संक्षिप्त जांच की कार्यवाही 90 दिवस में पूर्ण कर मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण किया जावें।

मुद्रांक प्रकरणों में पारित निर्णयो का परीक्षण करने के दौरान यह पाया गया कि मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण दर्ज होने के 90 दिवस में नही किया जा रहा है तथा उनमें लंबी अवधि की तारीख पेशी दी जा रही हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके यहां दर्ज मुद्रांक प्रकरणों में प्रथम बार एक माह से अधिक अवधि की तारीख पेशी नही दी जावें। प्रकरण में द्वितीय तारीख पेशी अधिकतम 15 दिवस की ही दी जावें। कलक्टर (मुद्रांक) अवकाश अथवा राजकीय यात्रा पर होने की स्थिति में संबंधित रीडर के द्वारा उक्त दिनांक को नियत सभी प्रकरणों में आगामी दिनांक 7 दिवस से अधिक की नही दी जाये। उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना करते हुये मुद्रांक प्रकरण का निर्णय 90 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

29-12-2016
(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)मुख्य/विधि/16/ 4456-4470 दिनांकः 29-12-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
5. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
6. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
7. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
8. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
9. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, मुख्यालय, अजमेर को विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
10. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
11. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
12. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

सहायक विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-482